म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, जेलरोड़, भोपाल

क्र.बी-6/नियमन/विविध/3678 भोपाल,दिनांक 27.9.2008

श्री (समस्त)
कलेक्टर,
.... जिला .... ।

विषय:- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना।

....

प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृतकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना" की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 25.9.2008 को भोपाल में सम्पन्न महा सम्मेलन में की गई है, जिसके कियान्वयन किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

इस योजना अन्तर्गत कृषि आधारित रोजगार करने वाले वे समस्त व्यक्ति है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, योजना की कंडिका-2 में उल्लेखित विभिन्न परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यदि हितग्राही किसी अन्य शासकीय योजना अन्तर्गत, योजना में उल्लेखित बिन्दुओं पर सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता रखता है, तो वह इस प्रस्तावित योजना अन्तर्गत प्रावधानित क्षतिपूर्ति के लिये अपात्र माना जायेगा।

योजना अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने के लिये हितग्राही को या हितग्राही के परिवार के सदस्य एवं निकट संबंधी द्वारा जिला कलेक्टर को योजना के साथ संलग्न परिशिष्ठ--1 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा कलेक्टर कार्यालय द्वारा इस आवेदन का परीक्षण राजस्व पुस्तिका परिपत्र के खंड-6 कमांक-4 में प्रावधानित प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के प्रकरणों के लिये निर्धारित प्रकिया के अनुरूप किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा प्रत्येक प्रकरण में राशि स्वीकृत करने के उपरांत राशि की मांग करने पर इसकी प्रतिपूर्ति म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संबंधित कलेक्टर को की जायेगी, तथा इस राशि की संपरीक्षा, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संपरीक्षकों द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

आपसे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का जिलों में व्यापक प्रचार प्रसार कर, कियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(विवेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

-6/ निधन विविध/3679-82 भोपाल,दिनांक 27.9.2008

विशेष सहायक, माननीय मंत्री कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन।
प्रमुख सचिव, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
संभागायुक्त (सम.स्त) संभाग .... म.प्र.।
श्री अनुराग जैन, सचिव, मान. मुख्यमंत्री म.प्र.शासन ।

प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

प्रदेश के कृषकों तथा कृषि से सम्बद्ध ऐसे कृत्यकारियों जो कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करते है, के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए ''मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना'' प्रभावशील की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा वही होगी जो म.प्र.राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2(ख) में उल्लेखित है। कृषि आधारित रोजगार करनेवाले वे समस्त व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हुए है।

2. योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों मे देय होगा।

01. कृषि कार्य मे कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल है) दुर्घटना मे मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
02. सिंचाई कार्य हेतु कुआ खोदते समय, ट्यूबवेल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली का करन्ट लगने से मृत्यु या अंग-भंग।
03. कृषि कार्य करते समय बिजली का करन्ट लगने अथवा खेत से गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
04. खेतों में फसलों, फल-सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि के छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
05. विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण एवं मण्डी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत 'क्रय केन्द्रों' एवं राज्य शासन द्वारा घोषित ''क्रय केन्द्रों'' पर कृषि उपज की बिक्री के समय कृषि यंत्रों के उपयोग करते समय एवं बोरियों की ढेरी लगाते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।
06. मण्डी प्रांगण में ट्रैक्टर-ट्राली, बैलगाड़ी इत्यादि के पलटने पर हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।
07. कृषि उपज के विक्रय के लिए तथा घर से खेत में आते जाते समय रास्ते मे हुई दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं अंग भंग होने पर।
08. कुट्टी की मशीन एवं कृषि संयंत्रों से केश मशीन में आने से (डिस्केल्पिंग) दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं अंगभंग के लिए।
09. कृषि सुरक्षा पशु चराई, पेड़ों की छटाई एवं कृषि की रखवाली करते समय हुई दुर्घटना मे हुई मृत्यु एवं अंगभंग के लिए।

परिस्थितियां जब योजना के प्रावधान लागू नहीं होंगे :-

ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि जिनका प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 6 क्रमांक-4 में उल्लेखित है, की क्षतिपूर्ति उक्त योजना के अंतर्गत नहीं की जा सकेगी। इसी के साथ ऐसे हितग्राही, जिन्हें कण्डिका क्रमांक 2 में उल्लेखित हानि की क्षतिपूर्ति के लिये किसी अन्य शासकीय योजना से पात्रता हो तो वे इस योजना के अंतर्गत प्रावधानित क्षतिपूर्ति सहायता के लिए, अपात्र माने जायेंगे।

4. कण्डिका 2 में उल्लेखित परिस्थितियां घटित होने पर आर्थिक सहायता राशि:-

01.	मृत्यु होने पर	-	50,000/-
02.	दुर्घटना में स्थाई अपंगता	-	25,000/-
03.	दुर्घटना मे अंग भंग होने से आंशिक अपंगता	-	7,500/-
04.	अंत्येष्टी अनुदान	-	2,000/-

5. योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया :-

कण्डिका 2 में उल्लेखित परिस्थितियां घटित होने पर संबंधित कि...मृत्यु एवं दुर्घटना होने पर उसके परिवार के सदस्य एवं निकट संबंधी द्वारा जिले के कलेक्टर को परिशिष्ट एक में प्रारूप अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा। कलेक्टर कार्यालय में यह आवेदन प्राप्त होने पर यह परीक्षण उसी प्रकार कराया जायेगा जिस प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 6 क्रमांक-4 में प्रावधानित प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के प्रकरणों में किया जाता है। जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाए जाने पर कंडिका-4 में अंकित सहायता राशि स्वीकृत कर संबंधित हितग्राही परिवार एवं उसके निकट संबंधी को तस्दीक किए जाने के उपरान्त वितरित की जायेगी। कलेक्टर द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारियों द्वारा वितरीत की जायेगी।

कलेक्टर द्वारा प्रत्येक प्रकरण में राशि स्वीकृत करने के उपरान्त राशि की मांग करने पर उतनी राशि म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध कराई जायेगी।

6. योजना के होने वाले व्यय के लिए राशि की व्यवस्था :-

योजना के अंतर्गत प्रावधानित आर्थिक सहायता पर होनेवाले व्यय की पूर्ति करने के लिए म.प्र.कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि)नियम, 2000 के

7 के प्रावधान अंतर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि की नियत राशि की 10 प्रतिशत में से 2 प्रतिशत राशि योजना के संचालन के लिए आरक्षित की जायेगी। इन प्रावधानों के अंतर्गत संग्रहित रकम मण्डी बोर्ड में एक पृथक खाता खोलकर संधारित की जायेगी तथा कलेक्टरों से राशि की मांग प्राप्त होने पर खाते से राशि का आहरण कर उन्हें उपलब्ध कराई जायेगी। संबंधित जिला कलेक्टर वितरित की गई राशि का पूर्ण व्यौरा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भुगतान करने के एक माह के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। जिला कलेक्टरों द्वारा सहायता अंतर्गत व्यय की गई राशि की सम्परीक्षा बोर्ड के सम्परीक्षकों द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

संलग्न .- उपरोक्तानुसार

(विवेक अग्रवाल)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, किसान भवन भोपाल

क्र./बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो/2171 भोपाल, दिनांक 6/9/12

प्रति,

कलेक्टर

जिला...............................(समस्त)

(म0प्र0)

विषय :– मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 का संशोधन बावत्।

–00–

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्र कमांक बी–6/ नियमन /विविध / 678 दिनांक 27.09.08 द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना प्रचलित है। कार्यालयीन आदेश कमांक/बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो/1146 दिनांक 14.01.11 द्वारा भी उक्त योजना में आंशिक संशोधन किया गया है।

दिनांक 15 जुलाई 2012 को भोपाल में आयोजित अटल किसान महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर रूपये 50,000/– (पचास हजार) के स्थान पर रूपये 1,00,000(एक लाख) की सहायता प्रदान की जायेगी की घोषणा की गई थी, जिसके कियान्वयन किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

अतः मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अन्तर्गत मृत्यु होने पर योजना की कंडिका 4(1) अनुसार रूपये 50,000/–के स्थान पर राशि रूपये 1.00 लाख स्वीकृत की जावें। योजना की शेष शर्ते पूर्व में जारी किये गये पत्रानुसार रहेंगी। उक्त आर्थिक सहायता राशि की पात्रता, पत्र जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

कृपया आपसे अनुरोध है कि संशोधित राशि का जिले में व्यापक प्रचार प्रसार कर कियान्वयन सुनिश्चित करें।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो/2172 से 2175 भोपाल, दिनांक 6/9/12

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष सहायक मान0 मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0 प्र0 शासन, भोपाल।

प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

श्री जे.सी. भट्ट उप सचिव, मान0 मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचंलिक कार्यालय समस्त(म0प्र0)

प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / योजना / 13–14 / 2551 भोपाल दिनांक 16 मई 2013

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, – – – – –– (समस्त)

विषयः– मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को सहायता राशि भुगतान की स्वीकृति।

संदर्भः कायीयलन पत्र क्रमांक बोर्ड / लेखा / 13–14 / 156–57 दिनांक 16–05–2013.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत जिला कलेक्टरों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में क्षतिपूर्ति सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति / विमुक्ति के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है। कृपया राशि विमुक्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें :–

1– आपको मण्डी बोर्ड से योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि के लिये बैंक में पृथक से खाता खोला जाए। इस योजना एवं मण्डी बोर्ड से प्राप्त राशि / आवंटन तथा व्यय का लेखा पृथक से संधारित किया जाए।

2– संबंधित जिला कलेक्टर से योजनान्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने से अधिकतम सात दिवस में संबंधित जिला कलेक्टर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफट बनाकर उपलब्ध कराये जाने का दायित्व उप सचालक आंचलिक कार्यालय का होगा।

3– योजनान्तर्गत प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब न हो इस हेतु प्रत्येक सोमवार को आपके कार्यालय में जिला कलेक्टर से प्राप्त स्वीकृति आदेश और भुगतान की स्थिति की समीक्षा आपके द्वारा की जाए।

9— प्रथम पाक्षिक में प्राप्त प्रकरणों की जानकारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक एवं द्वितीय पाक्षिक में प्राप्त प्रकरणों की जानकारी आगामी माह की 05 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र 'स'' में उपलब्ध कराए जाए। यदि कोई प्रकरण प्राप्त न होने की स्थिति में निरंक जानकारी उपलब्ध कराई जाना है।

10— पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस में प्रकरण का अनिवार्यतः निराकरण कर भुगतान कराया जाना है। नियत अवधि से अधिक विलम्ब होने पर प्रतिदिन के विलम्ब का कारण मण्डी बोर्ड को प्रेषित किया जाए। यदि किसी प्रकरण में अपरिहार्य कारणों से एक सप्ताह से अधिक समय लगता है तो उन प्रकरणों का विस्तृत विवरण, विलम्ब का कारण आदि के साथ फुट नोट में जानकारी भेजी जाए।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

16/05/13

(महेन्द्र ज्ञानी)
प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रपत्र –अ

[illegible]	मृत/अपंग व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	प्रकरण का स्वरूप	दावेदार का नाम	सहायता राशि	कलेक्टर कार्यालय का आदेश कमांक व दिनांक
01	02	03	04	05	06	07

प्रपत्र ''ब''

क्र0	मुख्यालय द्वारा आवंटित की गई राशि	संभागीय कार्यालय द्वारा व्यय की गई राशि	मांग के समय शेष उपलब्ध राशि	आगामी व्यय हेतु मांग की जाने वाली राशि	रिमार्क
01.	02.	03.	04.	05.	06

प्रपत्र –स

मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, 2008

प्रतिवेदित सप्ताह (दिनांक – – –– से दिनांक – – –– – तक)

[illegible]	आंचलिक कार्यालय में कलेक्टर द्वारा स्वीकृति आदेश की प्राप्त. दिनांक	विगत सप्ताह के लंबित प्रकरण	प्रतिवेदित सप्ताह में प्राप्त स्वीकृति आदेश	कुल प्रकरण	निराकृत किए गए गए प्रकरणों की संख्या	शेष प्रकरण	रिमार्क
01	02.	03	04	05	06	07	08

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क. / बोर्ड / यो. / गैर.तक / 01 / 2013–14 / 2811 भोपाल, दिनांक 24/9/2013

–:: आदेश ::–

कार्यालयीन पत्र कमांक / बी–6 / नियमन / विविध / 3678 दिनांक 27.9.08 द्वारा जारी की गई मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008, एवं पत्र क0 / बोर्ड / यो. / गै.त. / 1146 दिनांक 14.01.2011 में संशोधित, योजना 2008 की कडिका 02 की उपकंडिका (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना घटित होने पर आवेदन प्रस्तुति की अवधि 90 दिन के स्थान पर आंशिक संशोधन करते हुए 12 माह (एक वर्ष) की जाती है। संशोधित परिशिष्ट एक (अ, ब, स) संलग्न कर भेजा जा रहा है। योजना की शेष शर्तें यथावत रहेगीं।

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

(महेन्द्र ज्ञानी)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क. / बोर्ड / यो. / गैर.तक / 01 / 2013–14 / 2812 भोपाल, दिनांक 24/9/2013

प्रतिलिपि :–

(1) कलेक्टर, जिला (समस्त). . . . . म0प्र0शासन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(2) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग,म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(3) उपसचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल आपके पत्र क्रमांक / डी.–15–28 / 2013 / 14–2 दिनांक 21 जुलाई 2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(4) संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त). . . . . .की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(5) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) . . . . की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

"मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत"

परिशिष्ट--एक में (प्रारूप--अ)

योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन दुर्घटना घटित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

प्रति

कलेक्टर
जिला..............................
(म0प्र0)

स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित पासपोर्ट साईज स्वयं का फोटो

निवेदन है कि मैं ....(आवेदक का नाम) आत्मज .... ग्राम.. थाना..............................तहसील......................जिला.............. का निवासी हूँ।

(1) दिनांक.........................स्थान................................ग्राम.. तहसील...............................जिला............................श्री ....उक्त स्थान के कृषक है, का कृषि कार्य (1 से 9) करते हुए दुर्घटना के कारण दिनांक............................ को मृत्यु हो गई है। शासकीय चिकित्सक/चिकित्सालय का प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है।

(2) यह भी निवेदन है कि मृतक के आश्रित के लिये किसी अन्य शासकीय संस्था से सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

(3) मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैं आवेदक.. मृतक का ....संबंधी हूँ। (संबंध का नाम व विवरण)

अतः अनुरोध है कि सहायता राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

घोषणा -- पत्र

मैं . . . . यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है। उपरोक्त दावे/प्राप्त राशि के दावे के संबंध में यदि कोई जानकारी/तथ्य/प्रमाण असत्य/शंकास्पद पाए जाते हैं, तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह प्राप्त सहायता राशि ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर असत्य जानकारी देने के लिए मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर . . . .
आवेदक. . . . .
पता . . . .
. . . .
. . . .
दिनाँक . . . .

"मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत"
परिशिष्ट–एक में (प्रारूप–ब)

योजना की कंडिका 2 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में अंग भंग (अपंगता) होने पर सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन दुर्घटना घटित होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने पर मान्य होगा।

प्रति,

कलेक्टर
जिला......................................
(म0प्र0)

स्वंय के हस्ताक्षर से प्रमाणिक पासपोर्ट साईज स्वय का फोटो

निवेदन है कि मै ....(आवेदक का नाम) आत्मज .... आयु...............ग्राम...थाना..................................तहसील........................ जिला.................................का कृषक हूँ। खसरा कमांक ....है।

आवेदक दिनांक..........................को स्थान..........................ग्राम.............................. तहसील...............................जिला.......................कृषि कार्य (1 से 9) करते हुए दुर्घटना में निम्नानुसार अपंगता (अंग भंग) हुआ है। जिसका शासकीय चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

कमांक	शारीरीक अंग का नाम	अंग भंग का विवरण	स्थायी/अस्थायी अपंगता	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.

(1). मैं (आवेदक) उपरोक्त अपंगता के कारण अब अपना कार्य करने में असमर्थ हूँ, अथवा कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(2) मैं (आवेदक) यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त अंग भंग मुझे अपने कृषि कार्य...............................करते समय दुर्घटना के कारण प्राप्त हुई।

अतः अनुरोध है कि सहायता राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

घोषणा – पत्र

मैं . . . . यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है। उपरोक्त दावे/प्राप्त राशि के दावे के संबंध में यदि कोई जानकारी/तथ्य/प्रमाण असत्य/शंकास्पद पाए जाते हैं, तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह प्राप्त सहायता राशि ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर असत्य जानकारी देने के लिए मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

हस्ताक्षर . . . .
आवेदक . . . .
पता . . . .
. . . .
. . . .
दिनाँक . . . .

[illegible] कंडिका 8 (1 से 9) के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु होने पर अंत्येष्टि अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रति,

कलेक्टर
जिला...............................
(म0प्र0)

निवेदन है कि मै ....(आवेदक का नाम) आत्मज ....आयु..................ग्राम...थाना............................तहसील.......................... जिला..............................मंडी क्षेत्र...का निवासी हूँ।

दिनांक ....स्थान............................ग्राम... तहसील.......................जिला...............................श्री...जो.............................. उक्त स्थान के कृषक है, का कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है।

अतः अनुरोध है कि अंत्येष्टी के लिये अनुदान स्वीकृत करने का कष्ट करें।

<u>घोषणा – पत्र</u>

मैं . . . . यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के आधार पर सत्य एवं सही है। उपरोक्त दावे/प्राप्त राशि के दावे के संबंध में यदि कोई जानकारी/तथ्य/प्रमाण असत्य/शंकास्पद पाए जाते हैं, तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह प्राप्त सहायता राशि ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर असत्य जानकारी देने के लिए मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

नोट –सहायता देने के पूर्व प्रतिष्ठित/गणमान्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा।

हस्ताक्षर . . . .
आवेदक. . . . .
पता . . . .
. . . .
. . . .
दिनाँक . . . .

म0प्र0शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक/डी-15-7/15/14-3/ भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल 2015

परिपत्र

प्रदेश के कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृतकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 दिनांक 27.09.2008 से संचालित की जा रही है। योजना के नियम/प्रावधान के अंतर्गत हितग्राहियों के प्राप्त आवेदन को स्वीकृत कर, भुगतान करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त हैं।

प्रायः देखने में आया है कि योजनांतर्गत हितग्राहियों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण समाधान ऑनलाईन एवं सी.एम.हेल्पलाईन तथा अन्य माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

अतः योजना के नियम/प्रावधान अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों को 07 दिवस की समय-सीमा में जांच उपरांत स्वीकृत करें एवं 15 दिवस की समयावधि में हितग्राही को सहायता राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

क्रमांक/डी-15-7/15/14-3/ भोपाल, दिनांक 01 अप्रैल 2015

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल.
2. कलेक्टर - जिला.......................................(समस्त) म0प्र0।
3. संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा।

प्रमुख सचिव
31/3/15
म0प्र0शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
Agri/602 04/04/15
Add Dir (HDV)

JD (Plan)
Add/H/17
07/04/15
6.4.15
07/4/15